

(5)


रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

श्रीमान् जी,

छापी महेश कुमार पुत्र भरताराम द्वारा प्रदत्त
 आवेदन पत्र अनुसार छापी का नाम रागरत नाम रिपोर्ट
 नं० 304/2018 के खाता संख्या 508 में
 महेश कुमार पुत्र भरताराम की है जबकि मुताबिक सर्वेक्षण
 शपथ पत्र व छापी के आधार नार्ड पहचान पत्र में
 छापी का नाम महेश कुमार पुत्र भरताराम है परंतु छापी
 का नाम रागरत रिपोर्ट में (खाता संख्या 508 में) महेश कुमार
 पुत्र भरताराम लिखा गया उचित है।


रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार 03-03-2012 11/3/2012
 प. रिपोर्ट 12/10/18

रिपोर्ट पटवारी, उपर के मुद्दे कि छ जाते की अनुशंका की जाती है।


 तहसीलदार (भू. अ.)
 नीमकाधाना

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट शठपत्र स्वीकार किया जाता है।
 आदेश प्रथम से जारी है।


 (बृजेश कुमार)
 उपखण्ड अधिकारी
 नीमकाधाना (सीकर)